केस नं: 170/2023 तेणा बनाम तहसीलदार पचपदरा

26.2.24 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अधिवक्ता आज उपस्थित नहीं हुए। अपीलार्थी अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु कई बार आवाजें लगवाई गई। परन्तु न तो अपीलार्थी अधिवक्ता उपस्थित हुए है एवं न ही अपीलार्थी उपस्थित हो रहे है उपरोक्त अपील की और विचाराधीन रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में उनके हर्जे/अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली बाद निस्तारण नियमानुसार रखा जाय।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर